[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) **में प्रकाशनार्थ]**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 32/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में **मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित** "पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न**" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम**, 1975 **(1975 का 51)** की प्रथम अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत आता है, पर **भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या** 51/**2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर**, 2015, **जिसे सा.का.नि. 804**(अ)**, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड** (i) **में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975** का 51) **की धारा 9क की उप धारा (5) के** अनुसार **और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,** 1995 **(एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/9/2020-डीजीटीआर, दिनांक 15** अप्रैल, **2020** के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 9क **की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;**

अतः अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में, **केन्द्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या** 51/**2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक** 21 **अक्टूबर,** 2015, **जिसे सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड** (i) **में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-**

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"3. उपर्युक्त में निहित **किसी** भी **बात के बावजूद,** यह **अधिसूचना** 30 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख **भी शामिल है,** लागू रहेगी ।"

[फाइल संख्या 354/29/2009 -टीआरयू (पार्ट-।।)]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार